बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/विविध–13–35/2022(स्वा0) ...................... /पटना, दिनांकः–.........................................

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के पत्रांक–6252 दिनांक–03.06.2022 द्वारा डॉ० उमेश कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध श्री दीपक सहनी, पिता–राज किशोर सहनी, साकिन–सिकंदरपुर कुण्डल, थाना–नगर, जिला–मुजफ्फरपुर की दिनांक–09.09.2018 को कारा में प्रवेश के दौरान हेल्थ स्क्रीनिग नही करने एवं समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप दिनांक–04.10.2018 को हुए मृत्यु के आरोप में विभागीय संकल्प सं०–200(9) दिनांक–16.02.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–146(9) दिनांक–18.02.2025 द्वारा डॉ० चौधरी से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। जिसके आलोक में उनका प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ।

3. डॉ० चौधरी द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर मे अवगत कराया गया है कि सचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सहनी का मृत्यु के कारण पर स्पष्ट निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है। विचाराधीन कैदी द्वारा कोई शिकायत नहीं करने के कारण विहित प्रपत्र में कोई प्रविष्टि अंकित नहीं किया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा विषयगत मामलें की जाँच में डॉ० चौधरी का कोई लापरवाही नहीं पाया गया।

4. डॉ० चौधरी के द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री सहनी को दिनांक–09.09.2018 को मण्डल कारा मुजफ्फरपुर में संसीमित किया गया। अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस, मण्डल कारा, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2736 दिनांक–26.03.2022 द्वारा सूचित है कि डॉ० चौधरी द्वारा श्री सहनी का हेल्थ स्क्रीनिंग किया गया है परन्तु विहित जॉच पत्र में परीक्षण के मंतव्य को अंकित नहीं किया गया। डॉ० चौधरी द्वारा दिनांक–24.09.2018 के उपरान्त श्री सहनी का कफ कम नहीं होने पर एक्स–रे नहीं कराया गया। दिनांक–04.10.2018 को श्री सहनी की मृत्यु होने के उपरान्त अंत्यपरीक्षण में पाया गया कि श्री सहनी यक्ष्मा रोग से पीड़ित थे। कारा में प्रवेश होने के दौरान हेल्थ स्क्रीनिंग का परिमाण जॉच पत्र में अंकित नहीं करने के कारण यक्ष्मा की बीमारी को चिन्हित नहीं किया जा सका।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि बिहार कारा हस्तक, 2012 की नियम–52 के निहित प्रावधान यथा–चिकित्सक द्वारा विचाराधीन कैदी का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रविष्टि करने एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा परिचालित प्रपत्र में सूचनाएँ नहीं भर कर डॉ० चौधरी द्वारा उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। फलतः डॉ० चौधरी के विरूद्ध श्री सहनी को समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारण दिनांक–04.10.2018 को मृत्यु होने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(V) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

17/06/2025

(15)

6. अतएव डॉ० उमेश कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(V) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

**ह०/–**

**(उपेन्द्र राम)**

**सरकार के अवर सचिव।**

**ज्ञापांकः–9/विविध–13–35/2022(स्वा0) 665(9) /पटना, दिनांकः– 17.6.25**

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, (कारा), बिहार, पटना/अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस, केन्द्र कारा मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–डॉ० उमेश कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/06/2025

सरकार के अवर सचिव।